न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
34 / 2023	19 / 06 / 2023	19/01/2026

1 राधेश्याम पुत्र बृजमोहन जाति मीना निवासी अयानी तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रार्थी

बनाम

1 बृजमोहन पुत्र बलदेव जाति मीना निवासी अयानी तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2 रामेश्वर पुत्र बृजमोहन जाति मीना निवासी अयानी तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3 मुरली पुत्र बृजमोहन जाति मीना निवासी अयानी तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
4 चन्द्रप्रकाश पुत्र बृजमोहन जाति, मीना निवासी अयानी तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
5 रामविलास पुत्र बृजमोहन जाति मीना निवासी अयानी तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
6 मुकेश पुत्र बृजमोहन जाति मीना निवासी अयानी तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
7 केलाबाई पुत्री बलदेव पत्नि रामप्रसाद जाति मीना निवासी अयानी तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल मुकमा दातरदर्दा तहसील व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हरिमोहन मीणा एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 R-T-Act

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित खसरा संख्या 108 रकबा 1.19 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 146 रकबा 0.52 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 296 रकबा 0.31 हैक्टेयर नहरी दोयम खसरा संख्या 387 रकबा 0.77 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 495 रकबा 0.15 हैक्टेयर नहरी प्रथम, कुल किता 5 कुल रकबा 2. 94 हैक्टेयर ग्राम अयानी पटवार हल्का अयानी भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के माल मे स्थित है। इसी प्रकार खसरा संख्या 29 रकबा 0.64 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 60 रकबा 0.45 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 84 रकबा 1.92 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 85 रकबा 0.51 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 86 रकबा 3.48 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 87 रकबा 0.26 हैक्टेयर नहरी प्रथम, कुल खसरे 6 कुल रकबा 7.26 हैक्टेयर ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का अयानी भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के माल मे स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के दादा श्री बलदेव जी से विरासत मे प्राप्त हुई है। जिसे प्रार्थना पत्र मे आगे विवादित आराजी सम्बोधित किया गया है। अप्रार्थीगण रिश्ते मे प्रार्थी के पिता, भाई, भुआ है। प्रार्थी तथा अप्रार्थी क्रम 01 लगायत 07 की जाति मीणा (अनुसुचित जनजाति) होने से पक्षकारो पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। व पक्षकार प्राचीन शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है, जिसके अधीन पति की सम्पत्ति विधवा पत्नि एवं पुत्री को केवल मात्र आजीवन भरण पोषण हेतु उपयोग उपभोग का ही सिमित अधिकार प्राप्त होता है तथा पति की सम्पत्ति को अन्यत्र संक्रमित अथवा अन्तरित करने का अधिकार प्राप्त नही होते है। इसी प्रकार स्व. बलदेव के खाते की विवादित भूमि मे विधवा पत्नि व पुत्रीया अप्रार्थी क्रम 07 को केवल मात्र स्वयं का आजीवन भरण पोषण हैतु उपयोग एवं उपभोग का सिमित अधिकार प्राप्त है तथा उक्त भूमि को अन्यत्र संक्रमित अथवा व्यनित आदि करने का अधिकार प्राप्त नही है। इससे स्पष्ट परिलक्षित है कि राजस्व अभिलेख मे अप्रार्थी क्रम 07 के नाम का अकंन अवैध अनाधिकृत एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 01 लगायत 06 के हितो के विरूद्व प्रभावशुन्य घोषित किये जाने योग्य

है। उक्त विवादित भूमि ग्राम अयानी की कुल रकबा 2.94 हैक्टेयर व रघुनाथपुरा की 6 किता की 7.26 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी क्रम 01 व अप्रार्थी क्रम 07 को श्री स्व. बलदेव जी से विरासत से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम 01 व 07 को कही भी बैचान, अन्तरण, वसीयत करने का अधिकार नही है। विरासत से प्राप्त भूमि पर परिवार के प्रत्येक पुरूष सदस्य का नोशनल शेयर नोशनल हिस्सा जन्म लेने के पश्चात अपना हिस्सा कानूनन नियत होता है। इस प्रकार वादी का हिस्सा सम्पूर्ण आराजी मे 1/7 नियत है। ग्राम अयानी की कृषि आराजी कुल किता 5 रकबा 2.94 हैक्टेयर, भूमि अप्रार्थी क्रम 01 व अप्रार्थी क्रम 07 को विरासत से प्राप्त हुई है उक्त भूमि स्व. श्री बलदेव जी की खाते की कृषि आराजी हे उनके मरणोपरान्त उनके पुत्र अप्रार्थी क्रम 01 व 07 को विरासत से पप्त हुई है क्योकि स्व. बलदेव के अप्रार्थी क्रम 01 व 07 विधिक उत्तराधिकारी होने से विरासत से प्राप्त हुई है। जबकी अप्रार्थी क्रम 07 का नाम राजस्व अभिलेख मे अकिंत कर दिया है, जो कानूनन अवैध है और ग्राम अयानी की कृषि आराजी से अप्रार्थी क्रम 07 का नाम विलोपित किया जावें। विवादित भूमि मे स्व. बलदेव के खाते की भूमि ग्राम रघुनाथपुरा व ग्राम अयानी मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 01 लगायत 06 के ही कब्जे व वास्तविक नियन्त्रण मे है विवादित भूमि से प्रार्थी को विरासत से वचिंत कर अन्य संक्रमित अथवा व्यनित करने का अप्रार्थी क्रम 07 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। किन्तु राजस्व अभिलेख मे स्वयं के अकंन का अनुचित लाभ उठाकर अप्रार्थी क्रम 07 प्रार्थी को विवादित भूमि के उपयोग व उपभोग मे बाधा उत्पन्न कर रही है जिसका की उसे कोई अधिकार नही हे जबकी प्रार्थी को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि अप्रार्थी क्रम 01 लगायत 07 को जरिये अस्थायी निषेद्याज्ञा निषेधित करवायें कि वह उक्त भूमि स्व. श्री बलदेव के हिस्से की भूमि पर प्रार्थी को शांतिपूर्ण काश्त करने मे किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान उत्पन्न नहीं करें तथा अन्यत्र संक्रमित अथवा व्यनित आदि नहीं करें इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्तः कोई समीचीन एवं प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नही है। तदर्थ वाद प्रस्तुत है। अप्रार्थी क्रम 07 उक्त विवादित भूमि ग्राम अयानी कुल रकबा 2.94 हैक्टेयर मे संयुक्त खातेदार है इसलिये प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 01 लगायत 06 उक्त भूमि पर कृषि काश्त करते चले आ रहे है अप्रार्थी क्रम 07 उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थी क्रम 07 का खाते से नाम विलोपित किया जावें। प्राथी का केस प्रथम दृष्टया साबित है क्योकि व विवादित आराजी मे प्रार्थी खातेदार कब्जेदारी कृषक है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे हे, क्योकि वह उक्त आराजी मे अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है और यदि अप्राथी क्रम 01 व 07 द्वारा उक्त विवादित आराजी की भूमि को अन्यत्र जगह हस्तान्तरित खुर्द–बुर्द कर दिया गया या भूमि से प्राथी को बैदखल कर कब्जा कर लिया गया तो प्रार्थी को अपुर्णिय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मुल्याकंन किया जाना संभव नही होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम अयानी पटवार हल्का अयानी भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० खसरा संख्या 108 रकबा 1.19 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 146 रकबा 0.52 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 296 रकबा 0.31 हैक्टेयर नहरी दोयम खसरा संख्या 387 रकबा 0.77 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 495 रकबा 0.15 हैक्टेयर नहरी प्रथम, कुल किता 5 कुल रकबा 2.94 हैक्टेयर भूमि इसी प्रकार ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का अयानी भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के माल में स्थित खसरा संख्या 29 रकबा 0.64 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 60 रकबा 0.45 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 84 रकबा 1.92 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 85 रकबा 0.51 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 86 रकबा 3.48 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी के निहित हिस्से की भूमि में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेद्याज्ञा से निषेधित किया जावें कि वह प्राथी के कब्जे काश्त व उपयोग एंव उपभोग मे किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियो से करावें। तथा अप्रार्थीगण विवादित आराजी को रहन, दान, बेचान, वसीयत या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री हरिमोहन मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की

तलबी जर्ये सम्मन की गई। बावजूद सूचना अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी परस्पर भाई, पिता व बुआ है तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। अप्रार्थी 7 महिला है। जिन्हे पिता की सम्पत्ति में केवल भरण–पोषण का अधिकार ही प्राप्त है अतः यदि राजस्व अभिलेख में अंकर का लाभ लेकर विवादित भूमि को हस्तांतरित किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी अतः विवादित भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। बहस पर मनन, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण अप्रार्थी व अप्रार्थी मध्य पैतृक/स्वअर्जित सम्पत्ति में सहदायिकी अधिकारों के अन्तरण का मामला प्रतीत होता है जिसके साक्ष्य लेखबद्ध कर विचारण उपरांत निर्णय होना है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। पुत्र का जन्म से ही पिता की सम्पत्ति में हक निहित होता है। राजस्व अभिलेख में पिता बृजमोहन का नाम अंकित है इससे न्यायालय को यह मानने में संशय नहीं है कि यह प्रकरण Co parcenary right से संबंधित है। वाद के दौरान सम्पत्ति के अंतरण से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है क्योंकि वाद के दौरान अच्छी व मूल्यवान भूमि का अंतरण किया जाता है तो इस क्षति को मुद्रा से पूरा नहीं किया जा सकेगा। सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया तथा विवादित भूमि का अंतरण हो जाता है तो वाद की जटिलता में वृद्धि होगी तथा नये पक्षकारों के जुडने या दावा दर्ज करने से प्रार्थी को वादो की बहुलता में भी उलझना होगा। जिससे उसे असुविधा कारित होगी जबकि उसे असुविधा कारित होगी जबकि यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के उपयोग में अस्थाई व अंतरिम Restriction इस आशय का रहेगा कि विवादित भूमि को अन्यत्र रहन, बेचान, दान, वसीयत से अंतरित नहीं करे। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः ग्राम ग्राम अयानी पटवार हल्का अयानी भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० खसरा संख्या 108 रकबा 1.19 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 146 रकबा 0.52 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 296 रकबा 0.31 हैक्टेयर नहरी दोयम खसरा संख्या 387 रकबा 0.77 हैक्टेयर नहरी दोयम, खसरा संख्या 495 रकबा 0.15 हैक्टेयर नहरी प्रथम, कुल किता 5 कुल रकबा 2.94 हैक्टेयर भूमि तथा ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का अयानी भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के माल में स्थित खसरा संख्या 29 रकबा 0.64 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 60 रकबा 0.45 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 84 रकबा 1.92 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 85 रकबा 0.51 हैक्टेयर नहरी प्रथम, खसरा संख्या 86 रकबा 3.48 हैक्टेयर पर अप्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह इस भूमि को व्यनित, भारग्रस्त या अंतरित नहीं करे तथा रहन, दान, बेचान, वसीयत के माध्यम से खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे व विवादित भूमि पर रिकॉर्ड और मौके की यथास्थिति बनाए रखे। यह निषेधाज्ञा मूलवाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रभावी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा